मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-8

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 26 जुलाई, 2006 (श्रावण 4, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

(प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य कल दिनांक 25.7.2006 को सदन में नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी को सदन में अपनी बात रखने का अवसर न देने का उल्लेख करते हुए गर्भगृह में आकर अपनी-अपनी बात कहने लगे व नारेबाजी की)

(व्यवधान होने के कारण 10.33 बजे विधानसभा की कार्यवाही 15 मिनिट के लिए स्थगित होकर 10.55 बजे पुनः प्रारम्भ हुई)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(अध्यक्ष महोदय द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे प्रश्नकाल में सदन को चलने में आसंदी को सहयोग प्रदान करें। परन्तु विपक्ष द्वारा आसंदी की बात न सुनी जाने तथा व्यवधान होने के कारण विधान सभा की कार्यवाही 10.57 बजे 11.30 बजे तक के लिए स्थगित होकर 11.31 बजे पुनः प्रारम्भ हुई)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य गर्भगृह से नारेबाजी करते रहे)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की बैतूल जिले के मासोद से बन्डली होते हुए तिवर खेड़ा मार्ग के जर्जर होने,

(2) श्री रामदास उईके, सदस्य की छिंदवाड़ा जिले में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का सर्वे ठीक से न होने,

(3) श्री विक्रम सिंह उर्फ नातीराजा, सदस्य की खजुराहो स्थित पर्यटन में लगे वाहनों के परमिट का नवीनीकरण न किये जाने,

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र के विजयपुर विकासखण्ड अंतर्गत कई शालाओं के गणवेश की राशि निकाल लिये जाने एवं अभी तक गणवेश वितरण न किये जाने,

(5) श्री हुकुम चंद यादव, सदस्य की प्रदेश के पहलवानों को ट्रेक्स सूट्स प्रदाय न किये जाने,

(6) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य की पन्ना जिले के पवई क्षेत्रान्तर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सड़कों की जर्जर हालत होने,

(7) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य की जिला छतरपुर में बिजली न होने से लूटपाट की घटनाएं घटित होने,

(8) श्री प्रदीप अमृतलाल, सदस्य की म.प्र. विद्युत मंडल संभाग वारासिवनी बालाघाट में हाईटेंशन लाईट घनी आबादी वाले क्षेत्र में होने,

(9) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की ग्राम पंचायत के कैलाशपुर सरपंच एवं सचिव द्वारा फर्जी खर्च बतलाकर राशि हड़प कर जाने, तथा

(10) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य की सीतामऊ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कूचड़ोद में पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखी।

(क) अधिसूचना क्रमांक 1524-म.प्र.वि.नि.आ-06, दिनांक 15 जून, 2006, तथा

(ख) अधिसूचना क्रमांक 4054-4948-2005-तेरह, दिनांक 30 जून, 2006,

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के विनियम, 1974 के नियम 48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2004-2005,

पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण-की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा लोकमहत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके उन्होंने आज की कार्यसूची में छः सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही उनका अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर छः ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर आधे घण्टे में चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री घनश्याम सिंह, सदस्य की सागर जिले के जैसी नगर को-ऑपरेटिव बैंक, शाखा करैया द्वारा ऋण वितरण में अनियमितता किये जाने तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य,

(2) श्री गिरिराज मण्डलोई, पं. रमेश दुबे एवं श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य की शाजापुर जिले की सड़कों के निर्माण में अनियमितता किये जाने तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य,

(3) सर्वश्री कृष्ण कुमार सिंह "भंवर साहब", बंशमणि प्रसाद वर्मा, अर्जुन पलिया, सदस्य की सीधी जिले की चौफाल पवाई ग्राम के आदिवासियों को भूमि से बेदखल किये जाने तथा वन मंत्री का वक्तव्य,

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में सिंथेटिक दूध एवं नकली घी की बिक्री किये जाने तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य,

(5) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की खाचरौद क्षेत्र में केरोसीन की कालाबाजारी होने तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य, तथा

(6) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के त्यौंथर क्षेत्र में टमस नदी पर पीपा पुल के टूटने से कई लोगों की मौत होने तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य,

संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचनाएं तथा वक्तव्य पढ़े हुए माने गये।

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 69-सिरमौर के सदस्य श्री रामलखन शर्मा को विधान सभा के जुलाई, 2006 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य गर्भगृह से नारेबाजी करते रहे)

6. संविहित संकल्प

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

"यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में किये गए संशोधनों का जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1283-एक-(8)54-03-दो-अड़तालीस, दिनांक 1 जुलाई, 06 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 335, दिनांक 1 जुलाई, 06 में प्रकाशित किये गए हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता है."

संकल्प स्वीकृत हुआ।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री रामलाल रौतेल, सदस्य की शहडोल जिले के ग्राम पड़रिया में माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(2) श्री भगवत सिंह पटेल,सदस्य की रायसेन जिले के ग्राम धौलपुर से सियरमऊ तक सड़क बनाये जाने,

(3) श्री रामदास उइके, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम घानाउमरी से खिड़की कनेरी तक सड़क बनाये जाने,

(ख) ग्राम मोरडोंगरी खुर्द में आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जाने,

(ग) ग्राम घानाउमरी में कन्या छात्रावास खोले जाने,

(घ) ग्राम देवगढ़ से गोविन्दवाड़ी तक सड़क बनाये जाने,

(ङ) ग्राम अपतरा के पास नदी पर बांध बनाये जाने, तथा

(च) ग्राम हीरावाड़ी में बालिका छात्रावास खोले जाने,

(4) श्री नारायण प्रसाद कबीरपंथी, सदस्य की सागर जिले के ग्राम खेजरा उद्धेत के पास निर्माणाधीन स्टाप डेम का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,

(5) श्री बृजेन्द्र प्रताप, सदस्य की पन्ना जिले के -

(क) पवई विधान सभा क्षेत्र में वन औषधि उद्योग स्थापित किये जाने, तथा

(ख) ग्राम भैंसाडोल में सिंचाई तालाब का निर्माण कराये जाने,

(6) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के -

(क) ग्राम बरलाई में डी.पी. लगाये जाने,

(ख) ग्राम भीकमपुर से नागदा तक सड़क बनाये जाने,

(ग) ग्राम पचलासी से पाड़सुत्या के मध्य पुलिया बनाये जाने, तथा

(घ) ग्राम नंदीयासी में हाई स्कूल खोले जाने,

(7) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी नगर स्थित -

(क) सार्वजनिक धर्मशाला का नवीनीकरण कराये जाने, तथा

(ख) शा. हायर सेकेण्डरी स्कूल की बाउन्ड्रीवाल एवं कमरों का निर्माण कराये जाने, संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य गर्भगृह से लगातार नारेबाजी करते रहे)

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 21 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 20 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 21 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(2) श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य गर्भगृह से लगातार नारेबाजी करते रहे)

9. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदेश की अशासकीय शिक्षण शालाओं में अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर शिक्षा का अवैध शुल्क वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य का नाम चर्चा उठाने के लिए पुकारा गया परन्तु व्यवधान होने के कारण चर्चा प्रारम्भ नहीं हो सकी।

10. प्रतिवेदनों पर चर्चा

अध्यक्ष महोदय द्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-2004 पर चर्चा हेतु अनुमति दी गई परन्तु व्यवधान होने के कारण चर्चा प्रारम्भ नहीं हो सकी।

11. नियम 164-165 के अधीन विशेषाधिकार भंग की सूचना

श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य ने सर्वश्री रामनिवास रावत, अजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, घनश्याम सिंह, अंतर सिंह दरबार तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना सदन में प्रस्तुत की।

12. सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन संबंधी प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अध्यक्ष महोदय, कार्यसूची में जो विषय थे, वे सब सदन में उल्लेखित कर, लिये जा चुके हैं तथा इसके अलावा अब सदन के समक्ष कोई शासकीय कार्य लंबित नहीं है।

अतः सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य गर्भगृह से लगातार नारेबाजी करते रहे)

13. सत्र का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन

व्यवधान होने के कारण 11 बजकर 43 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.